

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1969/फाल्गुन 1, 1890

No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1969/PHALGUNA 1, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February 1969

S.O. 733.—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to appoint Shri G. Swaminathan, retired Additional Deputy Comptroller and Auditor General, as a Member of the Finance Commission constituted by the Order published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. S.O. 812, dated the 29th February, 1968, in place of Shri P. C. Bhattacharyya (deceased).

Shri G. Swaminathan shall render part-time service as Member of the Commission and shall hold office till the 31st day of July, 1969.

ZAKIR HUSAIN,
President.

19th February, 1969.

[No. 13(1)-B/68.]

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी 1969

ए० आर० 734—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का तैमीसर्वा) के अनुसार राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कानूनी आदेश संख्या 812, दिनांक 29 फरवरी, 1968 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित आदेश के अनुसार गठित वित्त आयोग में, क्षेत्रान्वित प्रतिरिक्त उप-निर्यत्रक महालेखापरीक्षक, श्री जी० स्वामिनाथन को श्री ए० सी० भट्टाचार्य (जिनका देहांत हो गया है) के स्थान पर वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।

श्री जी० स्वामिनाथन वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे और 31 जुलाई, 1969 तक उस पद पर कार्य करेंगे।

19 फरवरी, 1969।

जाकिर हुसैन,
राष्ट्रपति।

[संख्या 13 (1)-बो/68.]

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव।